अध्याय–चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना

4.2 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.3 शोध प्रश्न

अध्याय – चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 प्रस्तावना :

शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची से प्राप्त आंकड़ों (प्रदत्तों) के विश्लेषण हेतु मास्टर चार्ट बनाया गया, जिसमें प्राथमिक–स्त्रोंतों से प्रायः आंकड़ों की सरलतम् रूप प्रदान किया गया।

तत्पश्चात् आँकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित किया गया तथा प्रतिशत निकालकर निष्कर्ष को प्राप्त किया एवं व्याख्या की गयी।

इसके अंतर्गत बैगा–जनजाति के शाला जाने वाले, शालात्यागी बालक–बालिकाएँ व उनके माता–पिता को सम्मिलित किया गया। तथा इनकी शैक्षिक, व्यवसायिक, पारिवारिक आय, बच्चों की संख्या, शिक्षा योजनाओं की जानकारी एवं साधन, बच्चों को शाला भेजते समय आयी कठिनाईयों के संदर्भ में अध्ययन किया गया है।

वही दूसरी और शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं की आयु द्वारा कक्षास्तर में परिवर्तन, कक्षास्तर द्वारा छात्रवृत्ति राशि में परिवर्तन शाला में शिक्षक का व्यवहार एवं सजा (कठिनाई), अध्यापन प्राप्ति के मध्य आयी कठिनाईयाँ, शिक्षास्तर द्वारा भविष्य–योजना में परिवर्तन, शासन से शैक्षिक–सुविधा संबंधी अपेक्षाएँ तथा शाला त्यागी बालक–बालिकाओं की शाला त्यागने की औसत आयु व कक्षा, वर्तमान कार्य, शालात्यागने के पश्चात् अनुभव, शाला त्यागने का कारण, भविष्य–योजना, अध्ययन से भविष्य में लाभ व्यवसायिक–शिक्षा संबंधी मतों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

अंत में शालात्यागी बालक–बालिकाओं का शिक्षा के संबंध में मत एवं शोध प्रश्नों की व्याख्या की गयी है।

4.2 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

मास्टर-चार्ट से प्राप्त प्रदत्तों का प्रतिशत विधि के माध्यम से विश्लेषण कर व्याख्या की गई जो निम्नलिखित है –

तालिका– 4.0

पिता की शिक्षा के वर्ग द्वारा शिक्षास्तर में परिवर्तन

क्र.	शिक्षा	शाला जाने वाले		शाला त्यागी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	**शिक्षित**	**04**	**33.3**	**03**	**25**
(i)	प्राथमिक	01	8.3	2	16.6
(ii)	माध्यमिक	01	8.3	1	8.3
(iii)	उच्च माध्यमिक	01	8.3	–	
(iv)	उच्चतर माध्यमिक	01	8.3	–	
(v)	स्नातक	–	–	–	
2.	**अशिक्षित**	**08**	**66.6**	**09**	**75**
कुलयोग–		**12**	**100**	**12**	**100**

स्पष्टीकरणः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि शोध अध्ययन क्षेत्र में शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं के सर्वाधिक कुल योग में से 33.3 प्रतिशत पिता शिक्षित हैं, जो 8.3 प्रतिशत प्राथमिक, 8.3 प्रतिशत माध्यमिक, 8.3 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त है। जबकि कुल योग का 66.6 प्रतिशत अशिक्षित हैं।

वही दूसरी और शाला जाने वाले की तुलना में शाला त्यागी बालक-बालिकाओं के माता-पिता कम शिक्षित कुल योग का मात्र 25 प्रतिशत जो 16.6 प्रतिशत प्राथमिक, 8.3 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है। जबकि कुल योग का 75 प्रतिशत अशिक्षित है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शालात्यागी की अपेक्षा शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं के माता-पिता अधिक शिक्षित हैं किन्तु दोनों की प्रतिस्पर्धा के वर्तमान में अपने बच्चों को शाला भेजने हेतु प्रयासरत् है।

तालिका– 4.1

शिक्षा द्वारा पिता के व्यवसाय में परिवर्तन

क्र.	शिक्षा वर्ग	पिता का व्यवसाय											
		शाला जाने वाले						शाला त्यागी					
		कृषि	मजदूरी	सरकारी नौकरी	प्राय वेट	अन्य (कृषि व मजदूरी	कुल योग	कृषि	मजदूरी	सरकारी नौकरी	प्राय वेट	अन्य (कृषि व मजदूरी	कुल य
1	शिक्षित	1 (25%)	–	3 (75%)	–	–	4 (33.3%)	1 (33.3%)	2 (66.6%)	–	–	–	3 (25
2.	अशिक्षित	1 (12.5%)	1 (12.5%)	–	–	6 (75%)	8 (66.6%)	–	–	–	–	9 (100%)	9 (75
कुल योग		2 (16.6%)	1 (8.3%)	3 (25%)	–	06 (50%)	12 (100%)	1 (8.5%)	2 (16.6%)	–	–	9 (75%)	12 (100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के कुल योग का 33.3 प्रतिशत पिता शिक्षित है। जिसमें से 25 प्रतिशत कृषि एवं 75 प्रतिशत सरकारी नौकरी में विभिन्न पदों पर पदस्थ है। जैसे सुरक्षा गार्ड, चपरासी, शिक्षक आदि।

सहायक जिला आयुक्त, जिला डिण्डौरी कार्यालय के अनुसार :–

"सन् 1994–2009 में 326 बैगा विभिन्न पदों में पदस्थ हुये है। ये पद है भृत्य, चौकीदार, रसोईयाँ, वनपाल, स्टोरकीपर, सहायक अध्यपाक, संविदा शिक्षक, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक।"

अर्थात् जैसे–जैसे बैगा–जनजाति शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगी है। वैसे–वैसे शासकीय सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है। जबकि वर्तमान में कुल योग का 66.6 प्रतिशत अशिक्षित हैं जिसमें 12.5 प्रतिशत कृषि 12.5 प्रतिशत मजदूरी व सर्वाधिक 75 प्रतिशत अन्य (कृषि व मजदूरी) व्यवसायों में संलग्न है इसका प्रमुख कारण उनकी अपनी आदिम–संस्कृति से प्रगाढ़ लगाव हैं ये दुर्गम पहाड़ी रहवासी क्षेत्र को छोड़कर शहरी सभ्यता नहीं अपनाना चाहते।

वही दूसरी और कुल योग का 25 प्रतिशत शाला त्यागी बालक–बालिकाओं के पिता शिक्षित है जो 33.3 प्रतिशत कृषि 66.6 प्रतिशत

मजदूरी करते हैं जबकि कुल योग का सर्वाधिक 75 प्रतिशत पिता अशिक्षित हैं जिनको प्रमुख व्यवसाय कृषि व मजदूरी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, शिक्षित बैगा माता–पिता (जो विभिन्न सरकारी पदों व कृषि से संबंधित है) शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण अपने बच्चों को शाला नियमित रूप से भेजते है।

जबकि अशिक्षित बैगा माता–पिता (कृषि, मजदूरी एवं कृषि व मजदूरी व्यवसाय से संबंधित है) शिक्षित बैगा माता–पिता की अपेक्षा शिक्षा के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण प्रायः अपने बच्चों को कम शाला भेजते है। अथवा परिस्थितिवश शाला छुड़वा देते है या छात्र स्वयं शाला त्याग देता है।

तालिका– 4.2

शिक्षा द्वारा मासिक पारिवारिक–आय में परिवर्तन

क्र.	शिक्षा वर्ग	मासिक पारिवारिक आय									
		शाला जाने वाले					शाला त्यागी				
		1000 से कम	1000–2000	2000–3000	3000 से अधिक	कुल योग	1000 से कम	1000–2000	2000–3000	3000 से अधिक	कुल योग
1	शिक्षित	–	–	1 (25%)	3 (75%)	4 (33.3%)	–	–	2 (66.6%)	1 (33.3%)	3 (25%)
2.	अशिक्षित	3 (37.5%)	1 (12.5%)	4 (50%)	–	8 (66.6%)	3 (33.3%)	2 (22.2%)	4 (44.4%)	–	9 (75%)
कुल योग		3 (25%)	1 (8.3%)	5 (41.6%)	3 (25%)	12 (100%)	3 (25%)	2 (16.6%)	6 (50%)	1 (8.3%)	12 (100%)

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक कुल योग का 66.6 प्रतिशत शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के पिता अशिक्षित हैं जिसमें 37.5 प्रतिशत आय प्रतिमाह 1000 से कम हैं जो सबसे कम है। इसके अतिरिक्त 1000–2000 प्रतिमाह 12.5 प्रतिशत, 2000–3000 प्रतिमाह 50 प्रतिशत आय प्राप्त करते है। अतः इनकी औसत 2000–3000 प्रतिमाह है। तथा कुल योग का 33.3 प्रतिशत शिक्षित हैं। इसका प्रमुख कारण उनकी शिक्षा में प्रति जागरूकता हैं जो शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर निर्भर करती है। इसलिए 75 प्रतिशत 3000 प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे जो सर्वाधिक है क्योंकि वे

विभिन्न सरकारी–पदों पर पदस्थ है एवं 25 प्रतिशत 2000–3000 प्रतिमाह कमाते हैं।

वही दूसरी और सर्वाधिक कुल योग का 25 प्रतिशत शाला त्यागी बालक–बालिकाओं के पिता शिक्षित है, जिसमें 1000 से कम एवं 2000–3000 प्रतिमाह आय वाले अप्राप्त रहे जबकि 2000–3000 वाले 66.6 प्रतिशत व 3000 से अधिक प्रतिमाह वाले 33.3 प्रतिशत है। अतः इनकी औसत आय प्रतिमाह 2000–3000 जो इनके प्रमुख व्यवसाय कृषिव मजदूरी पर निर्भर करता है। जबकि कुल योग का 75 प्रतिशत पिता अशिक्षित है जिसमें 1000 से कम प्रतिमाह वाले 33.3 प्रतिशत है जो सबसे कम है। 1000–2000 प्रतिमाह वाले 22.2 प्रतिशत 2000–3000 वाले 44.4 प्रतिशत प्रतिमाह आय प्राप्त करते है।व 3000 से अधिक प्रतिमाह आय वाले अप्राप्त है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षित बैगा माता–पिता जो विभिन्न सरकारी पदो पर पदस्थ है उनकी पारिवारिक मासिक आय अधिक हैं उनमें अपने बच्चों को शाला भेजने की जागरूकता भी अधिक है।

जबकि शाला त्यागी बालक–बालिका की पिता की मासिक पारिवारिक आय अनिश्चित होने के कारण वे प्रायः अपने बच्चों की शाला त्याग करवा देते है या छात्र स्वयं ही पारिवारिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शालात्याग देता है।

तालिका– 4.3

माता–पिता की शिक्षा द्वारा बच्चों की संख्या में परिवर्तन

क्र.	शिक्षा वर्ग	बच्चों की संख्या									
		शाला जाने वाले					शाला त्यागी				
		1	2	3	4 या अधिक	कुल योग	1	2	3	4 या अधिक	कुल योग
1	शिक्षित	1 (25%)	3 (75%)	–	–	4 (33.3%)	1 (33.3%)	2 (66.6%)	–	–	3 (25%)
2.	अशिक्षित	–	–	3 (37.5%)	5 (62.5%)	8 (66.6%)	–	–	2 (22.2%)	7 (77.7%)	9 (75%)
कुल योग		1 (8.3%)	3 (25%)	3 (25%)	5 (41.6%)	12 (100%)	1 (8.3%)	2 (16.6%)	2 (16.6%)	7 (58.8%)	12 (100%)

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल योग का 33.3 प्रतिशत शाला जाने वाले बालक-बालिका पिता शिक्षित है जो शिक्षा व स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण अपने परिवार के प्रति सजग हैं इस कारण 1 बच्चे वाले 25 प्रतिशत व 2 बच्चे वाले 75 प्रतिशत माता-पिता है। वे "छोटा परिवार सुखी परिवार" को अपने जीवन का आधार मानते है एवं अपने बच्चों को शाला भेजने हेतु जागरूक है। तथा कुलयोग का 66.6 प्रतिशत अशिक्षित है इस कारण प्रायः 37.5 प्रतिशत माता-पिता की 3 व 62.5 प्रतिशत माता-पिता की 4 या अधिक बच्चे है। इसका प्रमुख कारण वे अपने बच्चों को "देवी-देवता का प्रसाद" मानते हैं। यह प्रचलित धारणा यह भी है कि जितने अधिक बच्चे होगे उनकी आर्थिक-स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होगी क्योंकि वे इसे "कमाऊ पुत्र" मानते है। किन्तु अशिक्षित होते हुये भी ये अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु जागरूक है।

वही दूसरी और कुल योग का 25 प्रतिशत शालात्यागी बालक-बालिका के पिता शिक्षित है शिक्षा के लाभ के कारण 33.3 प्रतिशत माता-पिता का 1 बच्चा व 66.6 प्रतिशत माता-पिता के 2 संताने हैं। जबकि कुल योग का 75 प्रतिशत अशिक्षित है जिनके 22.2 प्रतिशत माता-पिता को 3 बच्चे व 77.7 प्रतिशत माता-पिता के 4 या अधिक बच्चे है इसका प्रमुख कारण उनकी आर्थिक तंगी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षित बैगा माता-पिता "स्वस्थ परिवार सुखी परिवार" के महत्व को समझते है। अतः उनके एक या दो ही बच्चे हैं इसलिए वे अपने बच्चों को नियमित रूप से शाला में अध्ययन हेतु शाला भेजते है।

जबकि अशिक्षित बैगा माता-पिता के प्रायः चार या चार से अधिक बच्चे है क्योंकि वे अधिक बच्चों को कमाऊ पुत्र मानते है। इसका प्रमुख कारण उनकी आर्थिक तंगी है अतः वे शाला जाना छोड़ देते है।

तालिका– 4.4
शिक्षा द्वारा शिक्षा–योजनाओं के विकास की जानकारी

क्र.	शिक्षा योजना का नाम	बच्चों की संख्या					
		शाला जाने वाले			शालात्यागी		
		शिक्षित	अशिक्षित	कुल योग	शिक्षित	अशिक्षित	कुल योग
1.	आंगनबाड़ी योजना	–	5	5 (41.6%)	–	8	8 (66.6%)
2.	सर्वशिक्षा अभियान	–	1	1 (8.3%)	–	1	1 (8.3%)
3.	जनश्री बीमा योजना	–	–	–	–	–	–
4.	अन्य	–	2	2 (16.6%)	–	–	–
5.	सभी	4 (100%)	–	4 (33.3%)	3 (100%)	–	3 (25%)
कुल योग		**4 (33.3%)**	**8 (66.6%)**	**12 (100%)**	**3 (25%)**	**9 (75%)**	**12 (100%)**

स्पष्टीकरणः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 33 प्रतिशत शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के जो माता–पिता शिक्षित है वे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण अपने परिवार के प्रति सजग है। इस कारण प्रायः सभी शिक्षित बैगा माता–पिता को आंगनबाड़ी योजना, सर्वशिक्षा अभियान योजना, जनश्री बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, शिष्यावृत्ति योजना आदि की जानकारी हैं जबकि कुल योग का 66.6 प्रतिशत अशिक्षित हैं किन्तु फिर भी 41.6 प्रतिशत आँगनबाड़ी योजना 8.3 प्रतिशत सर्वशिक्षा अभियान व 16.6 प्रतिशत अन्य (छात्रावास व छात्रवृत्ति योजना) योजना के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते। इन योजनाओं की उन्हें केवल प्रारंभिक जानकारी हैं वे सैद्धान्कि पृष्ठभूमि से अपरिचित है। कुछ उत्तरदाताओं ने तो केवल योजनाओं का नाम ही सुना है।

वही दूसरी और 25 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता शिक्षित हैं वे सभी शिक्षा–योजनाओं की जानकारी रखते हैं तथा

सर्वाधिक 75 प्रतिशत अशिक्षित माता–पिता का 66.6 प्रतिशत आँगनबाड़ी योजना की अल्प जानकारी हैं। जैसेः बच्चों को खाना मिलता है, दवाई मिलती है गर्भवति महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाती है, व 8.3 प्रतिशत सर्वशिक्षा अभियान योजना ''पढ़ाई'' से संबंधित हैं इतना ही जानते है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला जाने वाले की तुलना में शाला त्यागी माता–पिता को शिक्षा योजनाओं की अल्प जानकारी है। अर्थात् शिक्षित बैगा माता–पिता को शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी योजना, सर्वशिक्षा अभियान योजना, जनश्री बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना, शिष्यावृत्ति योजना की जानकारी है। अतः वे अपने बच्चों को शाला भेजते है।

जबकि अशिक्षित बैगा माता–पिता प्रायः शिक्षा का महत्वहीन समझते है। इस कारण उन्हें शिक्षा संबंधी योजनाओं की अल्प जानकारी हैं इसलिए वे बच्चों की शालात्याग करवा देते है या बच्चा स्वयं ही शालात्याग देता है।

तालिका– 4.5

शिक्षा द्वारा शिक्षा–योजना की जानकारी के साधन में परिवर्तन

क्र.	जानकारी का साधन	शिक्षा का वर्ग					
		शाला जाने वाले			शाला त्यागी		
		शिक्षित	अशिक्षित	कुल योग	शिक्षित	अशिक्षित	कुल योग
1.	टी.वी.	–	–	–	–	–	–
2.	रेडियों	–	1 (100%)	1 (8.3%)	–	–	–
3.	समाचार पत्र	–	–	–	–	–	–
4.	जनसंपर्क	–	7 (100%)	7 (58.3%)	–	9 (100%)	9 (75%)
5.	सभी	4 (100%)	–	4 (33.3%)	3 (100%)	–	3 (25%)
कुल योग		**4 (33.3%)**	**8 (66.6%)**	**12 (100%)**	**3 (25%)**	**9 (75%)**	**12 (100%)**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल योग का 33.3 प्रतिशत शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के माता–पिता शिक्षित है, उन्हें शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के कारण प्रायः शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी टी.वी., रेडियों, समाचार–पत्र, जनसंपर्क से प्राप्त हो जाती है। जिससे वे अपने बच्चों को शाला भेजने हेतु प्रोत्साहित होते है। जबकि कुल योग का 66.6 प्रतिशत आदिवासी बैगा माता–पिता अशिक्षित है जो प्रायः जनसंपर्क 58.3 प्रतिशत व 8.3 प्रतिशत रेडियों से जानकारी प्राप्त करते है लेकिन वे अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु शाला भेजते है।

वही दूसरी और कुल योग का मात्र 25 प्रतिशत शाला त्यागी बच्चों के माता–पिता शिक्षित हैं। उन्हें प्रायः सभी शिक्षा योजनाओं की जानकारी है जबकि कुल योग का 75 प्रतिशत अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा योजनाओं से संबंधित जानकारी का सशक्त साधन जनसंपर्क है। जो उन्हें शिक्षा के लाभ से परिचित कराता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षित बैगा माता–पिता को विभिन्न शिक्षा योजनाओं की जानकारी टी.वी., रेडियों, समाचार–पत्र, जनसंपर्क से प्राप्त हो जाती है। जिससे उन्हें शिक्षा के महत्व की जानकारी मिलती है। इस कारण वे अपने बच्चों को शाला विद्याअर्जन हेतु भेजते है।

जबकि अशिक्षित बैगा माता–पिता को शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रायः जनसंपर्क से प्राप्त होती है इस कारण वे शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं हो पाते फलतः माता–पिता स्वयं ही बच्चों का शाला जाना छुड़वा देते है या बच्चा स्वयं ही परिस्थितिवश शाला त्याग देता है।

तालिका– 4.6

बच्चों को शाला भेजते समय आयी समस्या (कठिनाईयाँ)

क्र.	समस्या	शाला जाने वाले		शाला त्यागी	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	आर्थिक तंगी	5	41.6	4	33.3
2.	स्वयं खेती कार्य	2	16.6	1	8.3
3.	स्वयं उपज एकत्रीकरण	1	8.3	1	8.3
4.	सभी	4	33.3	5	41.6
5.	अन्य	–	–	1	8.3
कुल योग		12	100	12	100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के माता–पिता को शाला भेजते समय 41.6 प्रतिशत (सर्वाधिक) आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा उनके पास अनाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है खेती के बीज नही आ पाते है। 16.6 प्रतिशत को खेती कार्य स्वयं करना पड़ रहा है, पहले बच्चे सहायता कर देते थे। 8.3 प्रतिशत का उपज एकत्रित कर स्वयं करना पड़ रहा हैं तथा 33.3 प्रतिशत ऐसे माता–पिता हैं जिन्हें प्रायः सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

वही दूसरी और शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता को जब वे अपने बच्चों को शाला भेजते थे तब उन्हें सर्वप्रमुख समस्या ''पैसे की तंगी'' होती थी, जो कुल योग का 33.3 प्रतिशत, स्वयं उपज इसके आलावा 8.3 प्रतिशत स्वयं खेती कार्य, 8.3 प्रतिशत स्वयं उपज एकत्रीकरण करते थे जबकि 41.6 प्रतिशत माता–पिता को प्रायः सभी समस्याएँ आती थी एवं 8.3 प्रतिशत अन्य (पानी भरना, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, चारा काटना, आदि) समस्याएँ उत्पन्न हुई थी उसी कारण इनके बच्चों ने शाला त्याग दी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला जाने वाले बच्चों के माता–पिता को शाला भेजते समय प्रमुख समस्या आर्थिक तंगी की होती है। इसके कारण अनाज व

बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती इसके अतिरिक्त उन्हें स्वयं खेती कार्य, स्वयं उपज एकत्रीकरण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जबकि शालात्यागी बच्चों के माता-पिता को बच्चों को शाला भेजते समय प्रायः सभी समस्याऐं जैसे आर्थिक तंगी, स्वयं खेती कार्य, स्वयं उपज एकत्रीकरण व अन्य समस्याएं जैसे पानी भरना, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, चारा काटना, आदि आती थी इस कारण इनके बच्चों ने शाला त्याग दी।

तालिका- 4.7

शाला जाने वाले एवं त्यागी बालक-बालिकाओं की आयु एवं कक्षास्तर में परिवर्तन

क्र.	आयु	कक्षास्तर									
		शाला जाने वाले					शाला त्यागी				
		8वीं	9वीं	10वीं	11वीं	कुल योग	8वीं	9वीं	10वीं	11वीं	कुल यो
1	14 वर्ष	5 (100%)	-	-	-	5 (41.6%)	8 (100%)	-	-	-	8 (66.6%
2.	15 वर्ष	-	3 (100%)	-	-	3 (25%)	-	3 (100%)	-	-	3 (25%
3.	16 वर्ष	-	-	2 (100%)	-	2 (16.6%)	-	-	1 (100%)	-	1 (8.3%
4.	17 वर्ष	-	-	-	2 (100%)	2 (16.6%)	-	-	-	-	-
कुल योग		5 (41.6%)	3 (25%)	2 (16.6%)	2 (16.6%)	12 (100%)	8 (66.6%)	3 (25%)	1 (8.3%)	-	12 (100%

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल योग का 41.6 प्रतिशत शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं की औसत आयु 14 वर्ष है जो आठवी के छात्र है। 25 प्रतिशत की आयु 15 वर्ष से जो 9वीं के छात्र है, 16.6 प्रतिशत 16 वर्ष की आयु के छात्र है जो 10वीं में अध्ययनरत् है एवं 16.6 प्रतिशत 17 वर्ष के छात्र है जो 11वीं में अध्ययनरत् है।

वही दूसरी और 66.6 प्रतिशत बालक-बालिकाओं के शाला त्यागने की औसत आयु 14 वर्ष है वह अपनी आर्थिक तंगी के कारण 8वीं में ही शाला त्याग देता है। 9वीं में 25 प्रतिशत जिनकी आयु 15 वर्ष है व 10वीं में 8.3 प्रतिशत जिसकी आयु 16 वर्ष के बालक-बालिकाओं होती हैं जिन्होंने आर्थिक कारणों, व्यक्तिगत कारणों से शालात्याग दी है। प्रायः बैगा छात्र-छात्रों को गृह परीक्षा (Home Exam) 6,7,9 कक्षा में पास कर देते हैं। फलतः 5वीं, 8वीं,

10वीं की बोर्ड-परीक्षा में फेल हो जाते है उसका प्रमुख कारण इनका मानसिक स्तर सामान्य बालक-बालिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं की आयु 14 वर्ष, 15वर्ष, 16वर्ष व 17वर्ष है। वे प्रायः 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत् है। अर्थात् जो प्रतिकूल परिस्थितियों (शैक्षिक कठिनाईयों) के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते है। शाला विद्याअर्जन हेतु जाते है।

जबकि जो छात्र अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते वे शाला त्याग देते है। इनके शाला त्याग देने की औसत आयु प्रायः 14 वर्ष है।

उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों अनुसार अपवाद स्वरूप है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उम्र बढ़ने पर कक्षास्तर भी बढ़े। क्योंकि कई बच्चों को पूरक आ जाती है और वह उसी कक्षा में बना रहता है, जिसमें वह पहले अध्ययनरत् था। अतः वह शाला त्याग देता है लेकिन उम्र बढ़ जाती है।

तालिका -4.8

शाला जाने वाले बालक-बालिका की कक्षा स्तर द्वारा छात्रवृत्ति राशि में परिवर्तन

क्र.	कक्षा स्तर	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि				
		200 से अधिक	400 से अधिक	600 से अधिक	800 से अधिक	कुल योग
1.	8वीं	–	4 (100%)	–	–	4 (33.3%)
2.	9वीं	–	–	3 (100%)	–	3 (25%)
3.	10वीं	–	–	–	3 (100%)	3 (25%)
4.	11वीं	–	–	–	2 (100%)	2 (16.6%)
कुल योग		–	4 (33.3%)	3 (25%)	5 (41.6%)	12

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिक से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं का कुल योग का 33.3 प्रतिशत (8वीं में) छात्रों को 400 रू.

से अधिक, 25 प्रतिशत (9वीं में) 600 रू. से अधिक, 25 प्रतिशत (10वीं में) व 16.6 प्रतिशत (11वीं में) 800 रू. वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है।

निष्कर्षतः जैसे-जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है बालक-बालिकाओं की छात्रवृत्ति राशि में भी परिवर्तन होता जाता है। यह राशि राज्य छात्रवृत्ति व शिष्यावृत्ति के रूप में होती है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा इन्हें खेल प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति आदि प्रदान की जाने लगी है।

तालिका- 4.9

शाला में शिक्षक का व्यवहार एवं सजा (कठिनाईयाँ)

क्र.	व्यवहार	सजा का प्रकार					
		मुर्गा बनाना	घुटने टिकाना	छड़ी से मारना	कक्षा के अंदर व बाहर खड़े करना	कोई सजा नहीं	कुल योग
1.	व्यवहारिक	–	–	–	–	4	4 (33.3%)
2.	दुर्व्यवहारिक	2 (25%)	2 (25%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	–	8 (66.6%)
कुल योग		**2 (16.6%)**	**2 (16.6%)**	**3 (25%)**	**1 (8.3%)**	**4 (33.3%)**	**12 (100%)**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिक से स्पष्ट है कि 33.3 प्रतिशत बैगा शाला जाने वाले बालक-बालिकाओं का मानना है कि शाला में शिक्षक का व्यवहार व्यवहारिक (मित्रवत्) होने पर उन्हें कक्षा में कोई सजा नहीं मिलती। इस कारण वे पढ़ने में रूचि लेते है।

जबकि 66.6 प्रतिशत बालक-बालिका यह मानते है कि प्रायः कक्षा में शिक्षक का व्यवहार अव्यवहारिक होता है वह सजा देता है अर्थात् 25 प्रतिशत मुर्गा बनना, 25 प्रतिशत घुटने टिकाना, 37.5 प्रतिशत छड़ी से मारना (सर्वाधिक), एवं 12.5 प्रतिशत कक्षा के अंदर व बाहर खड़े करता है। प्रायः शिक्षक लड़कों को मुर्गा बनवाता है एवं घुटने टिकवाता है जबकि लड़कियों की छड़ी से मारता है।

निष्कर्षत : कहा जा सकता है कि शिक्षक का व्यवहार प्रायः कक्षा में दुर्व्यवहारिक होता है वह बच्चों को मुर्गा बनाना, घुटने टिकवाना, छड़ी से मारना, कक्षा के अंदर व बाहर खड़े करना आदि सजाएं देता है जिसके कुप्रभाव से बच्चे गृहकार्य नहीं करते और शाला त्याग देते है।

तालिका –4.10

शाला जाने वाले बालक–बालिका को शाला से दूरी बढ़ने पर उत्पन्न समस्या (कठिनाईयाँ)

क्र.	शाला से दूरी	समस्या प्रकार				
		आवागमन साधन का आभाव	कच्ची सड़क	पक्की सडक व जंगली जानवर का भय	आत्याधिक शीत ग्रीष्म व वर्षा ऋतु का प्रभाव	कुल योग
1.	1 कि.मी.	–	–	–	1 (100%)	1 (8.3%)
2.	2 कि.मी.	–	1 (100%)	–	–	1 (8.3%)
3.	3 कि.मी.	1 (50%)	1 (50%)	–	–	2 (16.6%)
4.	4 कि.मी.	3 (37.5%)	1 (12.5%)	3 (37.5%)	1 (12.5%)	8 (66.6%)
कुल योग		4 **(33.3%)**	3 **(25%)**	3 **(25%)**	2 **(16.6%)**	12 **(100%)**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बालक–बालिका की शाला से सर्वाधिक दूरी 4 कि.मी. से अधिक है जो कुल योग का 66.6 प्रतिशत है जिसमें 37.5 आवागमन के साधन का आभाव, 12.5 प्रतिशत कच्ची सड़क, 37.5 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्रो व जंगली जानवरों का भय, 12.5 प्रतिशत अत्याधिक शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु का प्रभाव रूपी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

जबकि सबसे कम दूरी 1 कि.मी. की होने पर शाला जाने में उत्पन्न समस्या शीत, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु का प्रभाव है। जो कुल योग का 8.3 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त कुल योग का 16.6 प्रतिशत 3 कि.मी. जिसमें 50 प्रतिशत आवागमन के साधन का अभाव एवं 50 प्रतिशत कच्ची सड़क की समस्या व कुलयोग का 8.3 प्रतिशत, 2 कि.मी. में कच्ची सड़क की समस्या है। लेकिन अध्ययन के प्रति प्रगाढ़ उत्सुक्ता के कारण बालक–बालिकाऐं विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुये शाला जाते हैं व कुछ शाला छोड़ देते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बैगा–जनजाति चुँकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की रहवासी है व शाला इनके निवास क्षेत्र से दूर स्थित होती है। अतः शाला जाने वाले बालक–बालिका आवागमन के साधनों का अभाव कच्ची सड़क, जंगली जानवर का भय अत्याधिक शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण बच्चे शाला नहीं जाते।

तालिका– 4.11
शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं में अध्ययन प्राप्ति के मध्य आयी कठिनाईयाँ

क्र.	कठिनाईयाँ	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	घर का काम	1	8.3
2.	गाय चराना	1	8.3
3.	पानी लाना	1	8.3
4.	छोटे बच्चों की देखभाल	1	8.3
5.	अन्य	3	25
6.	सभी	5	41.6
कुलयोग		12	100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं को अध्ययन के दौरान प्रायः सभी समस्याएँ (41.6 प्रतिशत) आती है जो कुल योग का सर्वाधिक प्रतिशत हैं जैसे घर का काम, गाय चराना, पानी लाना, छोटे अच्चों की देखभाल अन्य (उपज एकत्रीकरण, टोकनी बनाना, औषधी बेचना आदि) कठिनाईयाँ आती है जबकि कुल योग 8.3 गाय चराते है, 8.3 प्रतिशत घर का काम करते है, 8.3 प्रतिशत पानी लाते है 8.3 प्रतिशत बच्चों की देखभाल करते है व अन्य उपज एकत्रितकरण, टोकनी बनाना, औषधि बेचना आदि 25 प्रतिशत कठिनाईयाँ है जिसके कारण बालक–बालिका शाला छोड़ देते है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला जाने वाले बालक–बालिका को अध्ययन प्राप्ति के दौरान प्रायः घर का काम, गाय चराना, पानी लाना, छोटे बच्चों की देखभाल, उपज एकत्रीकरण, टोकनी बनाना, औषधि बेचना आदि कठिनाईयाँ आती है। इस कारण बालक–बालिकाएं शालात्याग देते है।

तालिका– 4.12

शिक्षा स्तर द्वारा भविष्य योजना में परिवर्तन

क्र.	शिक्षा स्तर	भविष्य की योजना					
		शिक्षक	पुलिस	समाजसेवी	नर्स	अन्य	कुल योग
1.	8वीं	3 (60%)	2 (40%)	–	–	–	5 (41.6%)
2.	9वीं	1 (33.3%)	–	1 (33.3%)	1 (33.3%)	–	3 (25%)
3.	10वीं	2 (100%)	–	–	–	–	2 (16.6%)
4.	11वीं	2 (50%)	–	–	–	2 (50%)	2 (16.6%)
कुल योग		**7 (58.3%)**	**2 (16.6%)**	**1 (8.3%)**	**1 (8.3%)**	**1 (8.3%)**	**12 (100%)**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिक से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले बैगा बालक–बालिकाओं की शिक्षा का स्तर जैसे–जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे–वैसे बालक–बालिकओं की भविष्य योजनाओं में परिर्वतन दिखाई देने लगा है। अर्थात् कुल योग में से सर्वाधिक अध्ययनरत् बालक–बालिकाएँ कक्षा 8वीं में कुल योग का 41.6 प्रतिशत है इस अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं का 60 प्रतिशत शिक्षक व 40 प्रतिशत पुलिस बनना चाहता है।

जबकि कुल योग में से सबसे कम 16.6 प्रतिशत 10वीं, 11वीं में अध्ययनरत् हैं इनकी शिक्षा के प्रति अधिक समझ होने के कारण 10वीं में 100 प्रतिशत व 11वीं में 50 प्रतिशत शिक्षक बनना चाहते है एवं 50 प्रतिशत अन्य (प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित) पद प्राप्त करने के इच्छुक है।

निष्कर्षत : कहा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् अधिकांश बैगा बालक–बालिका शिक्षक बनना चाहते है। क्योंकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षक पद सबसे बड़ी सम्मानीय उपाधि में आता है। इसके अतिरिक्त वे पुलिस समाज से भी नर्स व प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पदों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे शासन से निःशुल्क कोचिंग व कम्प्यूटर शिक्षण की सुविधा चाहते है।

तालिका- 4.13

व्यवसायिक शिक्षा संबंधी मत

क्र.	व्यवसायिक शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सिलाई	5	41.6
2.	कढ़ाई	2	16.6
3.	बुनाई	1	8.3
4.	बढ़ईगिरी	1	8.3
5.	बिजली कार्य	2	16.6
6.	अन्य	1	8.3
कुलयोग		12	100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला जाने वाले कुल योग का सर्वाधिक 41.6 प्रतिशत सिलाई सीखना चाहते हैं एवं कुल योग सबसे कम 8.3 बुनाई, 8.3 बढ़ईगिरी, 8.3 अन्य (चित्रकार नृत्य) की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 16.6 प्रतिशत कढ़ाई व बिजली कार्य सीखने के उत्सुक ही क्योंकि उनका मानना है कि व्यवसायिक-शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सरकार उन्हें दुकान खोलने हेतु कम ब्याज पर लोन दे देगी, जो उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का आधार बन सकता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला जाने वाली बालक-बालिका अधिकांशतः सिलाई की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते है इसके अतिरिक्त वह कढ़ाई, बुनाई, बढ़ाईगिरी, बिजली कार्य व नृत्य, चित्रकारी की शिक्षा सीखने के उत्सुक है। क्योंकि उनका मानना है कि क्योंकि उनका मानना है कि व्यवसायिक-शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सरकार उन्हें दुकान खोलने हेतु कम ब्याज पर लोन दे देगी, जो उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का आधार बन सकता है।

तालिका– 4.14

शासन से शैक्षिक सुविधाओं संबंधी अपेक्षाएँ

क्र.	शैक्षिक सुविधाएं	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सायकल	1	8.3
2.	भोजन	1	8.3
3.	स्टेशनरी	1	8.3
4.	कोचिंग सुविधा	2	16.6
5.	कम्प्यूटर शिक्षण	2	16.6
6.	अन्य (पुस्तकालय)	1	8.3
7.	सभी	4	41.6
कुल योग		**12**	**100**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सायकल योजना केवल लड़कियों के लिए है किन्तु शाला की दूरी अधिक होने के कारण मेहनती बालक सायकल की मांग करते हैं जो कुल योग का 8.3 प्रतिशत है।

भोजन उपलब्धता सुविधा की मांग करने वाले बालक–बालिका कुल योग का 8.3 प्रतिशत है। जबकि मध्यान्ह भोजन सुविधा क्रियान्वित की जा चुकी है लेकिन इसके लाभ से ये वंचित है।

जबकि प्रतिभाशाली बालक–बालिकाएँ स्टेशनरी की मांग करते है जो कुल योग का 8.3 प्रतिशत है ये सुविधा शासन द्वारा निः शुल्क (पेन, कॉपी, रजिस्टर, आदि) वितरित की जाती है, किन्तु उक्त शोध क्षेत्र में ये अप्रभावी व भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है।

प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रतियोगी परिक्षाओं की सफलता हेतु कोचिंग सुविधा एवं कम्प्यूटर शिक्षण अत्यावश्यक हैं किन्तु यह शोध अध्ययन क्षेत्र में अप्रभावी है। जिसके कारण प्रतिभाशाली बालक–बालिका बीच में ही अपनी पढ़ायी छोड़ देते हैं यह कुल योग का 16.6 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त 8.3 प्रतिशत बालक–बालिका अध्ययन हेतु पुस्तकालय चाहते हैं जहाँ विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक विषयों से संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। तथा 41.6 प्रतिशत बालक–बालिका उक्त सभी शैक्षिक सुविधायें चाहती है।

निष्कर्षतः शाला जाने वाले बालक–बालिकाएं शासन से सायकल, भोजन, स्टेशनरी, कोचिंग सुविधा, कम्प्यूटर शिक्षण, पुस्तकालय आदि शैक्षिक सुविधाओं की अपेक्षाऐं रखते है। जबकि वास्तविकता यह है कि भोजन स्टेशनरी, कोचिंग सुविधा, कम्प्यूटर शिक्षण पुस्तकालय की सुविधा शासन द्वारा इन्हें दी गई है, किन्तु भ्रष्टाचार से ग्रसित होने के कारण ये शोध क्षेत्र में प्रायः अप्रभावी है। जिसके कारण प्रतिभाशाली बालक–बालकाएं बीच में ही अपनी पढ़ायी छोड़ देते है।

तालिका– 4.15

शालात्यागी बालक–बालिकाओं का वर्तमान कार्य

क्र.	वर्तमान कार्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मजदूरी	9	75
2.	खेती	2	16.6
3.	कृषि व मजदूरी	1	8.3
4.	घरेलू कार्य	–	–
कुल योग		12	100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र में निवासरत् शालात्यागी बालक–बालिकाआं का सर्वाधिक वर्तमान कार्य मजदूरी हैं जो कुल योग को 75 प्रतिशत जिसे वे शहर व गांव में जाकर करते है। जबकि सबसे कम 8. 3 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाएँ ऐसे है जो कृषि व मजदूरी करती हैं अर्थात् जब कृषि का समय समाप्त हो जाता है तब वे मजदूरी को अपनी आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाते है।

इसके अतिरिक्त कुल योग का 16.6 प्रतिशत बालक–बालिकाएँ खेती कार्य करते हैं तथा घरेलू कार्य तो सभी (मजदूरी, खेती, कृषि व मजदूरी) में सम्मिलित है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला त्यागी बालक–बालिकाएं वर्तमान में मजदूरी कार्य सर्वाधिक करते है। इसके अतिरिक्त वे खेती, कृषि व मजदूरी कार्य भी करते है तथा इन सभी शाला त्यागी बालक–बालिकाओं घरेलू कार्य अनिवार्य रूप से करना पड़ता है।

तालिका– 4.16

शालात्यागी बालक–बालिकाओं की भविष्य–योजना

क्र.	भविष्य की योजना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	नर्स	2	16.6
2.	शिक्षक	5	41.6
3.	किसान	1	8.3
4.	पुलिस	3	25
5.	अन्य (समाजसेवी)	1	8.3
	कुल योग	**12**	**.100**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक कुल योग का 41.6 प्रतिशत शाला त्यागी बालक–बालिका शिक्षा प्राप्ति पश्चात् भविष्य में शिक्षक बनाना चाहते थे। जबकि सबसे कम मात्र कुल योग का 8.3 प्रतिशत किसान व समाजसेवी बनना चाहते थें। इसके अतिरिक्त कुल योग का 16.6 प्रतिशत नर्स, बनना चाहती थी तथा 25 प्रतिशत पुलिस बनना चाहती थी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला त्यागी बालक–बालिकाएं शिक्षा प्राप्ति पश्चात् सर्वाधिक शिक्षक बनना चाहते थे। क्योंकि जनजाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक को अति सम्मान प्राप्त है तथा इसके अतिरिक्त वे नर्स, किसान, पुलिस, समाजसेवी बनना चाहते थे।

तालिका– 4.17

बालक–बालिकाओं का शाला त्यागने का कारण

क्र.	कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	आर्थिक तंगी	6	50
2.	पिता का दुर्व्यव्यवहार	1	8.3
3.	विवाह होना	4	33.3
4.	सभी	–	–
5.	अन्य (शिक्षक दुर्व्यव्यवहार गृह कार्य न करना, गणित, विज्ञान समझ न आना, भाषा समस्या आदि)	1	8.3
कुल योग		12	100

स्पष्टीकरणः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने आर्थिक तंगी के कारण शाला जाना छोड़ दिया। जबकि 33.3 प्रतिशत बालक–बालिकाओं का विवाह एवं 8.3 ने पिता के दुर्व्यव्यवहार, 8.3 प्रतिशत ने अन्य कारणों जैसे (शिक्षक की भाषा समझ में न आना, अंग्रेजी–गणित से डर, शिक्षक द्वारा सजा देना, शिक्षक का दुर्व्यव्यवहार करना, शाला दूर होना, पहाड़ी व कच्चा रास्ता जंगली जानवरों का भय आदि) के कारण शाला छोड़ दी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बैगा बालक–बालिकाएं सर्वाधिक आर्थिक तंगी के कारण शाला त्याग देते है, इसके अतिरिक्त शाला त्यागने के अन्य प्रमुख कारण पिता का दुर्व्यव्यवहार, विवाह होना, शिक्षक दुर्व्यव्हार, गृहकार्य न कर पाना, गणित व विज्ञान समझ में न आना, भाषा की समस्या आदि है।

तालिका– 4.18

बालक–बालिकाओं का शाला त्यागने के पश्चात् अनुभव

क्र.	अनुभव	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	घर का काम	5	41.6
2.	बच्चों की देखभाल	1	8.3
3.	स्वयं पैसा कमाना	2	16.6
4.	मास्टर जी की मार नहीं पड़ती	1	8.3
5.	सभी	1	8.3
6.	अन्य	2	16.6
	कुल योग	12	100

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक कुल योग का 41.6 प्रतिशत शालात्यागी बालक-बालिकाओं को शालात्यागने के पश्चात् घर का काम करना पड़ता था जैसे गाय चराना, पानी लाना, खेती, उपज एकत्रीकरण, घर की सफाई, खाना बनाना था। जबकि मात्र 8.3 प्रतिशत बालक-बालिका को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। 8.3 प्रतिशत का मानना है कि अब उन्हें मार नहीं पड़ती तथा 8.3 प्रतिशत बालक-बालिकाओं ने उपरोक्त सभी विकल्पों का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त 16.6 प्रतिशत बालक-बालिकाओं को शाला त्यागने के पश्चात् स्कूल के दिनों की याद आती थी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शाला त्यागने के पश्चात् बैगा बालक-बालिकाओं को सर्वाधिक घर का काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल, स्वयं पैसा कमाना, मास्टर जी की मार नहीं पड़ना, गाय चराना, पानी लाना, खेती, उपज एकत्रीकरण, घर सफाई, खाना बनाना, स्कूल के दिनों की याद आदि का अनुभव प्राप्त हुआ है।

तालिका- 4.19

शालात्यागी बालक-बालिकाओं के अनुसार अध्ययन से भविष्य में लाभ

क्र.	लाभ	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	शोषण से मुक्ति	3	25
2.	चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता	2	16.6
3.	रोजगार	3	25
4.	अन्य (पिता का इलाज)	1	8.3
5.	शासकीय नौकरों	3	25
कुलयोग		**12**	**100**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि बैगा-जनजाति के शालात्यागी बालक-बालिका शिक्षित हो जाते तो सर्वाधिक 25 प्रतिशत ऐसे बालक-बालिका हैं जो यह मानते है कि उनका कोई शोषण नहीं कर सकता, रोजगार मिल जाता, शासकीय नौकरी मिल जाती।

जबकि मात्र 8.3 प्रतिशत ऐसे बालक–बालिका हैं जो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करा सकते। इसके अतिरिक्त 16.6 प्रतिशत ऐसी बालिकाएँ है जो यह मानती है कि यदि वे पढ़ लिख जाती तो उन्हें चूल्हा नहीं फूंकना।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि शाला त्यागी बालक–बालिका शिक्षित हो जाते तो उन्हें निम्न लाभ प्राप्त होते :– शोषण से मुक्ति, चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, रोजगार व शासकीय नौकरी प्राप्त हो जाती तथा वे अपने बीमार पिता का इलाज ठीक से करा पाते।

तालिका– 4.20

शालात्यागी बालक–बालिका की व्यवसायिक–शिक्षा संबंधी मत

क्र.	व्यवसायिक शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सिलाई	4	33.3
2.	कढ़ाई	–	–
3.	बुनाई	–	–
4.	बढ़ई गिरी	–	–
5.	बिजली कार्य	2	16.6
6.	अन्य (सिलाई, कढ़ाई, व बुनाई)	6	50
कुल योग		**12**	**100**

स्पष्टीकरण : उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाएँ सिलाई, कढ़ाई बुनाई की व्यवसायिक–शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। जबकि सबसे कम मात्र 8.3 प्रतिशत बालक–बालिकाएँ केवल सिलाई सीखने को प्राथमिकता देते है, इसके अतिरिक्त 16.6 प्रतिशत बिजली कार्य सीखना चाहते है।

निष्कर्षः कहा जा सकता है कि शाला त्यागी बालक–बालिकाएं सर्वाधिक सिलाई, कढ़ाई व बुनाई सीखना चाहते है। इसके अतिरिक्त वे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, बिजली कार्य को भी महत्व देते है।

❖ **अनुच्छेद लेखन :**

बैगा–जनजाति के शाला त्यागी बालक–बालिकाओं का शिक्षा के बारे में दृष्टिकोण : एक गुणात्मक विश्लेषण–

1. शालात्यागी बालक जब स्कूल जाते हुए अन्य बालक–बालिकाओं को देखते हैं तब :

- कुछ बालक–बालिकाओं को प्रसन्नता होती है।
- कुछ का कहना है कि हम स्कूल नहीं जा सके तो क्या दूसरे बच्चे तो जा सकते हैं।
- कुछ को शाला जाते हुये बच्चों को देखकर ईर्ष्या होती हैं
- कुछ मानते है कि उनके दोस्त पढ़लिखकर अफसर बन जायेगे।
- कुछ मानते है कि काश हम भी अपने दोस्त के साथ पढ़ने चले जाते, हम सायकल में घूमते, खेल खेलते।

2. शालात्यागी बालक–बालिकाओं को यदि शिक्षा प्राप्त करने का पुनः अवसर मिले तोः

- वे पुनः शिक्षा प्राप्त करना चाहेगे ताकि उनका कोई शोषण न कर सके, उन्हें उनकी मजदूरी के पूरे पैसे मिले, सरकारी नौकरी मिल सके।
- जबकि कुछ मानते है कि अब वे पढ़ना लिखना नहीं चाहते क्योंकि वे पैसा कमाने जाते है अगर वे स्कूल पढ़ने जायेगे तो कमायेगा कौन ?
- बालिकाओं का कहना है कि अब उनका विवाह हो गया है उन्हें घर का कामओं, बच्चों की देखभाल करनी होती है, इसलिए वे स्कूल नहीं जाना चाहते।
- कुछ को गणित, अंग्रेजी से भय लगता है इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते।

3. व्यवसायिक शिक्षा से लाभ के संबंध में इनका मानना है किः

- ये इन्हें पैसा मांगने का साधन मिल जाता है।

- दुकान खोल लेते हैं।
- कम ब्याज पर सरकार से ऋण मिल जाता है।
- सिलाई केन्द्र खोलकर दूसरो को सिखाते है।

❖ **वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टेडी) :**

गुणात्मक सूचनाओं का संकलन वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि द्वारा किया जाता है। जबकि परिणात्मक सूचनाओं का संकलन सांख्यिकीय संबंधी अध्ययन प्रविधियों द्वारा किया जाता हैं। वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधानकर्ता को तीव्र एवं सूक्ष्यअंतर्दृष्टि प्रदान करके इकाई का गहन व विस्तृत अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है।

आज समाज वैज्ञानिक इस प्रविधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली, व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों कवियों, उपन्यासकारों तथा समाज-सुधारकों के संपूर्ण जीवनवृतांत का अध्ययन करने के लिए करते है। जैसेः परिवार, राजनैतिक दल, जनजाति और किसी संस्था (अस्पताल, गिरीजाघर, सरकारी विभाग का अध्ययन इसी प्रविधि द्वारा किया जाता है।)

वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा बिसेज तथा बीसेन्ज के अनुसार :

"वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है, जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है।"

शोधार्थी द्वारा शोध क्षेत्र में शोध विषय से संबंधित वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टेडी) किया गया जिसके अंतर्गत शाला जाने वाले एवं शाला त्यागी बालक-बालिकाओं का अध्ययन किया जो इस प्रकार है :-

केस स्टडी- शाला जाने वाली बालिका :

धनेश्वरी धुर्वे, 10वीं पास

धनेश्वरी धुर्वे पिता नाम आयतू सिंह, इनका प्रमुख व्यवस्था खेती हैं। छात्रा वर्तमान में शासकीय कन्या शाला विकासखण्ड समनापुर जिला डिण्डौरी

में 11वीं की छात्रा है। शाला के पिछले 11 साल से इतिहास 1998–2009 में पहली बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण की है। इनका 10वीं में 57 प्रतिशत है इनकी विशेष रूचि का विषय अंग्रेजी का इसके अलावा अन्य रूचियाँ सिलाई, कढ़ाई है। ये भविष्य में कुशल तीरंदाज बनना चाहती है। छात्रा ने अपनी प्रारंभिक–शिक्षा पिपरिया माध्यमिक शिक्षा मचगांव, विकास खण्ड समनापुर से प्राप्त की।

धनेश्वरी धुर्वे (10वीं पास)

चूँकि पिता कृषक है अतः इनकी वार्षिक आय 10,000/– रूपये हैं गर्मी में ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी न मिलने पर इनका जीवनयापन कठिनाईपूर्ण हो जाता हैं। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद अशिक्षित माता–पिता अपने बच्चों को नियमित शाला में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तथा आगे के उच्च अध्ययन हेतु निःशुल्क हॉस्टल में भेजेगे।

इनके पिता का कृषि क्षेत्र 4 एकड़ है जिसमें धान, कोदो, कुटकी, अरहर, उगाते हैं, लेकिन पानी की अपर्याप्तता एवं बिजली के आभाव के कारण उपज पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, इसके बावजूद छात्रा कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती है। छात्रा ने तीरंदाजी खो–खो, कबड्डी, तबा, भालाफेक मं कई प्रमाण–पत्र प्राप्त किये है। छात्रा तीरंदाजी में विभागीय राज्य स्तर तक ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है।

केस स्टडी – शाला जाने वाली बालिका :

श्यामकली धुर्वे, 10वीं पास

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (विकासखण्ड समनापुर जिला डिण्डौरी) के पिछले 11 साले के इतिहास 1998–2009 में पहली बार 10वीं की परीक्षा में पास हुई है। वर्तमान में इनका स्कूल गांव से 20 कि.मी.

दूर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बीतन बहरा गांव के माध्यमिक शिक्षा, खाम्हा रसोई विद्यालय से प्राप्त की है। इनके पिता श्री वकील सिंह कृषक है। इनकी 3 हेक्टेयर कृषि है। गेहूँ, धान, अरहर, मटर, कोदो-कुटकी, उगाते है। मिट्टी लाल होने के कारण उपज पर्याप्त नहीं मिलती इस कारण इनकी वार्षिक आय 2500 है। आर्थिक कठिनाईयों के होते हुए भी इस विकलांग बालिका ने 10वीं की बोर्ड-परीक्षा में 54 प्रतिशत प्राप्त किये है। इनकी अन्य शैक्षिक रुचियाँ कहानी पढ़ना,खाना बनाना, बागवानी, कविता पढ़ना अच्छा लगता है। वर्तमान में ये सांईस विषय लेकर अध्ययन कर रही है। वह भविष्य में शिक्षक बनना चाहती है। शासन के द्वारा इन्हें कन्या साक्षरता के रूप में 3000/- रू. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 1607, जनश्री बीमा योजना 200 रू. का लाभ ले रही है। इन्हें सायकल का लाभ भी मिला हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण छात्रा पृथक रूप से निवास कर रही है। शासन द्वारा छात्रा को सायकल तो मिली हैं लेकिन उपयुक्त सड़क व्यवस्था न होने के कारण ये इसके लाभ से वंचित है।

श्यामकली धुर्वे (10वीं पास)

केस स्टडी - शाला त्यागी बालक :

पंचम सिंह मरकाम - 8वीं पास

पंचम सिंह मरकाम, पिता तारन सिंह उम्र 14 वर्ष वर्तमान में मजदूरी करता है। उसे पढ़ने की रूचि थी, किन्तु पिता द्वारा उसकी बीमार माता की हत्या कर दी गई, कारण नयी माँ थी। फलतः शालात्यागी बालक को हृदयघात लगा और वह घर छोड़कर चला गया तब वह 8वीं कक्षा का छात्र था।

आज वह सेठ की होटल में चाय के वर्तन धोता है सेठ उसे 20 रू. दिन देता है, जिसमें से 10 रू. वह सेठ के पास जमा करवाता है और 10 रू. स्वयं पर खर्चा करता है जैसे वह इन पैसों से समोसा मिठाई खाता है, उसे ट्रेन में घूमना पसंद हैं वह बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता था ताकि अपने पिता और मां को डंडे मार सके और बाकी जमा 10 रू. जब वह सेठ से मांगता है तो वह उसे गाली देता हैं मारता-पीटता हैं घर का काम भी करवाता हैं और एक समय का भोजन देता है।

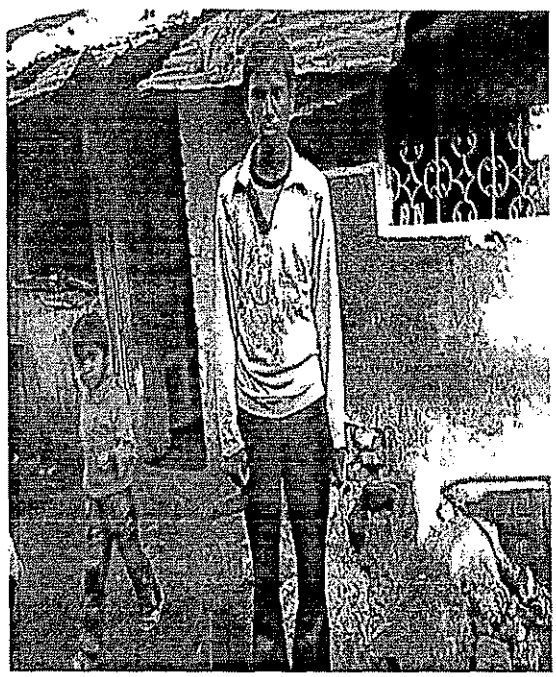

पंचम सिंह मरकाम (8वीं पास)

इस शाला त्यागी बालक को शैक्षिक ज्ञान भले ही न हो पर सामाजिक ज्ञान बहुत है। वह 10,20,50,100,500,1000 के नोट पहचानता है गिनती भी कर लेता है अपने अधिकार को समझता है पर सेठ की असमाजिक गतिविधि के कारण डरता है, वह उसका व्यवसाय छोड़कर नहीं जा सकता और न स्कूल जा सकता है। शायद इसे ही बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। जो किसी कहानी के पात्र के समान निर्जीव सा अभिनय लगता है।

4.3 शोध समस्या का प्रश्न :-

1. बैगा-जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँ :

चूँकि बैगा-जनजाति शहरी सभ्यता से दूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं। अतः इन पहुँचविहीन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रायः कम हो पाता है, इस कारण ये क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि इनमें योजनाओं के प्रति जागरूकता का विकास नहीं हो पाता। अतः जो माता-पिता एवं

बालक–बालिकाऐं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते है वे शाला नियमित रूप से अध्ययन करते है जबकि जो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते वे शालात्याग देते हैं।

अतः उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निम्नकठिनाईयाँ दृष्टिगोचर होती है :

1. बैगा–जनजाति की शिक्षा प्राप्ति की सभी प्रमुख कठिनाईयों में सर्वप्रथम है भाषा की कठिनाई है। चूँकि इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता भाषा होती है अतः छात्र, शिक्षक की भाषा समझ नहीं पाते। फलतः वे सामान्य विद्यार्थियों से उचित सामंजस्य नहीं बैठा पाते इस कारण इनके मानसिक स्तर का विकास नहीं हो पाता और इनकी निम्न व दयनीय स्थिति बनी रहती हैं जो आज भी विभिन्न शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद दृष्टित होती है।
2. बैगा–जनजाति प्रायः दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। जो पहुँचविहीन हैं। जबकि शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए साधनयुक्त आवागमन होना आवश्यक है।
3. आवागमन साधनों के आभाव के कारण प्रायः शिक्षक शाला नहीं पहुँच पाते, यही स्थिति छात्रों के साथ हैं, अर्थात् जो छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वह भी विद्यालय नहीं पहुँच पाते। इस कारण वे शिक्षक के ज्ञान से वंचित रह जाते है।
4. संचार साधनों (टी.वी., समाचार पत्र, रेडियों आदि) के आभाव के कारण विभिन्न योजनाओं के लाभ से संबंधित जानकारी बैगा–जनजाति तक नहीं पहुँच पाती इस कारण इनमें जागरूकता का आभाव पाया जाता है।
5. प्रायः शहर में रहने वाली महिला शिक्षिकाओं की पदस्थापना साधन विहीन बैगा प्रधान क्षेत्रों में कर दी जाती है, अतः उनके मस्तिष्क में यह भय घर कर जाता है कि कही उन्हें कोई मारकर न फेक दे इसलिए वे नियमित रूप से पाठशाला अध्यापन हेतु नहीं जाती।

6. चूँकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्ष्तिक निवास करता है अतः पर्याप्त प्राथमिक–स्वास्थ–केन्द्र के आभाव के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते।
7. प्रकाश के पर्याप्त आभाव के कारण छात्र विद्यालय में मिलने वाले गृहकार्य नहीं कर पाते। अतः वह धीरे–धीरे विद्यालय जाना छोड़ देते है।
8. रोजगार के आभाव के कारण उन्हें, पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पाता जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती और वे विद्यालय जाना छोड़ देते है।
9. झिरिया के पानी में अत्याधिक गंदगी होने के कारण उसमें पोषक–तत्वों का आभाव होता है जिससे वे कुपोषित हो जाते हैं इस कारण उनका मन अध्ययन में नहीं लगता और वे विद्यालय छोड़ देते हैं।
10. आर्थिक तंगी अर्थात् कृषि तो हैं लेकिन वे काम लागत पर अधिक उपज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जबकि शासन द्वारा उन्हें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है। लेकिन उचित जागरूकता के आभाव के कारण वे आर्थिक विपन्नता से उबर नहीं पा रहे हैं
11. पीने के पानी की समस्या के कारण उन्हें सुदूर क्षेत्र से स्वच्छ जल प्राप्ति हेतु जाना पड़ता है इस कारण वे विद्यालय में नामांकन ही नहीं कराते।
12. धार्मिक–रूढ़िवादिता के कारण बालक–बालिका को उनके अशिक्षित माता–पिता विद्यालय नहीं भेजते क्योंकि वे मानते हैं कि अगर उनका टोरा–टोरी (लड़का–लड़की) पढ़–लिख जायेगा ते उनका भरण–पोषण कौन करेगा?
13. पिता के दुर्व्यव्यहार व मदिरापान के कारण बालक–बालिकाएँ विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय को परिस्थितिवश बीच में ही छोड़ देते है।
14. विवाह हो जाने के कारण अधिकांश बालक–बालिकाएँ विद्या अर्जन बीच में या पश्चात् शाला जाना छोड़ देते है।
15. अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विषयों से भय के कारण शाला जाने वाले विद्यार्थी बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देते है।

16. कक्षाकक्ष में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सजाओं (जैसे मुर्गा बनाना, घुटने टिकवाना, छड़ी से मारना कक्षा के भीतर वह बाहर खेड़ रखना आदि) के कारण विद्यालय छोड़ देते है।

17. कक्षाकक्ष में प्रायः शिक्षक द्वारा बालिकाओं के साथ दुर्व्यव्यहार (अश्लील हरकत) किया जाता है इसलिए कई माता–पिता बालिकाओं को शाला भेजते ही नहीं और जो भेजते है वे उनकी पढ़ायी छुड़वा देते हैं।

18. विद्यालय में शौचालय की अव्यवस्था के कारण प्रायः बालिकाएँ विद्यालय जाना छोड़ देती है।

19. प्रायः बालिकाआं को घर का काम (जैसे खाना बनाना, पानी लाना, छोटे बच्चों की देखभाल, चारा काटना, उपज बीनकर लाना, गाय चराना आदि) करना होता है, क्योंकि उनकी मानसिक प्रवृत्ति घरेलू होती हैं अतः वे विद्यालय बीच में ही छोड़ देते है।

20. प्रायः पहाड़ी व जंगली रास्ता होने के कारण बालक–बालिकाओं को जंगली जानवरों का भय होता है। इस कारण वे शाला नहीं जाते।

21. अत्याधिक ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण शाला जाने वाले बच्चे में ही शाला त्याग देते है।

22. कृषि–मजदूरी, कृषि, मजदूरी आदि के कारण कई बालक–बालिकाएँ विद्यालय में नामांकित ही नहीं होते क्योंकि उनके काम का समय, विद्यालय के समय के बराबर होता है।

23. प्रायः बैगा क्षेत्रों की सड़के कच्ची है जो वर्षा ऋतु में कीचड़ से भर जाती है। अतः शाला जाने वाले छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते है।

24. बैगा प्रधान क्षेत्रों में पदस्थ गुरूजन, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक मानसेवक शिक्षक का वेतनमान न्यून है जैसे 500,1000,2500,3000,4500 अतः वे इतनी मंहगाई में इतने कम वेतनमान पर कार्य कर रहे है उसके साथ वह विद्यालय का अतिरिक्त कार्य भी करते हैं। इसलिए वे अपना अतिरिक्त मानसिक श्रम खर्च नहीं करना चाहते जो प्रमुख शैक्षिक कठिनाई है।

25. लंबे समय तक गांव से पलायन करने के कारण छात्र शाला जाना छोड़ देते है।

26. खेतो के काम में सहयोग करने के कारण वे शाला नहीं जा पाते।

27. प्रायः शैक्षिक–सुविधाओं के आभाव के कारण छात्र शाला को बीच में ही छोड़ देते है।

28. प्रायः शाला, घर से अधिक दूर होने के कारण छात्र बीच में ही शालात्याग देते है।

29. बच्चों की विकलांगता या लंबी बीमारी के कारण छात्र शाला बीच में ही छोड़ देते हैं

30. सामाजिक सोच जिसके कारण माता–पिता विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के बारे में उदासीन है।

31. चूँकि बैगा–जनजाति स्वाभावतः अत्याधिक शर्मीली होती है। अतः वह अध्ययन संबंधी कठिनाईयों को शिक्षक से पूछ नहीं पाते और शाला त्याग देते है।

32. बैगा–जनजाति के व्यक्ति ऐसा मानते है कि अगर वे शहरी सभ्यता को अपनायेगे तो उनकी अपनी परंपरागत–सभ्यता समाप्त हो जायेगी।

33. चूँकि बैगा–जनजाति पूर्णतः प्राकृतिक–संसाधनों पर निर्भर हैं। अतः निर्धनता के कारण छात्र बीच में ही शाला छोड़ देते है।

34. बैगा–जनजाति के बच्चें आसानी से उपलब्ध होने वाले मजदूर होते हैं। अतः ठेकेदारों द्वारा इन्हें वार्षिक मजदूरी में बांध लिया जाता है इस कारण ये विद्यालय जाते ही नहीं।

35. समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भाई–भतीजावाद आदि के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन सफल न हो।

36. शिक्षा के प्रति जागरूकता के आभाव के कारण

2. शैक्षिक–सुविधाओं के बारे में बैगा–जनजाति की सोच :

चूँकि बैगा–जनजाति को आदिम–जनजाति (Primitive fribes) घोषित किया गया है अतः शासन द्वारा इसके विकास हेतु विशेष बैगा विकास प्राधिकरण बनाया गया है व शासन द्वारा विशेष विकास योजनाओं का क्रियान्वित किया गया है इन योजनाओं में से एक है शिक्षा योजना। अतः शहरी सीमा से लगे बैगा शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं जबकि सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले आज भी इनके महत्व से अपरिचित हैं। इसलिए शासन क्रियान्वित शिक्षा योजनाओं द्वारा निःशुल्क शैक्षिक–सुविधाओं को वितरित किया जाता है जैसे : पाठ्यपुस्तक, कॉपी, पेन, रजिस्टर, बस्ता, भोजन, सायकल, गणवेश, छात्रावास, छात्रवृत्ति खेल उपकरण आदि।

वास्तविकता यह है कि शासन द्वारा विभिन्न शैक्षिक–सुविधायें बैगा–जनजाति के विकास हेतु निःशुल्क प्रदान की जाती है लेकिन जहाँ के शिक्षक बैगा–जनजाति के शैक्षिक उत्थान के लिए परस्पर निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान कर रहे हैं वहाँ नियमित रूप से शासन द्वारा निश्चित छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक–सुविधायें प्राप्त हो जाती है।

जबकि दूसरी और भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, भाई–भतीजाबवाद आदि के कारण इन सुविधाओं का लाभ बैगा–जनजाति तक नहीं पहुँच पा रहा हैं यही कारण है कि आज भी बैगा–जनजाति शिक्षा के लाभ की परिभाषा से अपरिचित है। अतः शिक्षा सुविधाओं के अंतर्गत वह निम्नलिखित सोच रखती है :

1. हर 1 कि.मी. के भीतर प्राथमिक–विद्यालय की स्थापना हो ताकि छोटे बच्चे आसानी से विद्यालय से जुड़ सकें।
2. हर 3 कि.मी. के भीतर माध्यमिक–विद्यालय खुलने का शासन का प्रस्ताव होना चाहिये।
3. इनका आवागमन मार्ग पक्का होना चाहिए जिससे छोटे बच्चे विद्यालय जाते समय भयभीत न हो।

4. ऐसे बैगा प्रधान क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित बैगा शिक्षक–होना चाहिए जो उनके रीति–रिवाज, धर्म, संस्कार आदि से परिचित हो या ऐसे शिक्षक जो बैगा नहीं है पर उनकी (रहन–सहन, खान–पान, भाषा, रीति–रिवाज, धर्म संस्कार आदि) बैगा संस्कृति में रूचि रखते हैं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

5. प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग शिक्षक होना चाहिए।

6. परंपरागत–शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात् उनकी वैद्य चिकित्सा पद्यति का विकास व प्रचार–प्रसार हो व उनकी तीरंदाजी को विश्वस्तर पर पहचान मिले।

7. बैगा बालकों को आवागमन हेतु सायकल चाहिये जो केवल बालिकाओं को दी जाती है।

8. कम्प्यूटर–शिक्षा बैगा छात्रों की शासन द्वारा क्रियान्वित योजना के अंतर्गत आती है परन्तु शोध क्षेत्र इसके लाभ से वंचित है। अतः यह प्रारंभ की जाये एवं विशेष प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था भी की जाये।

9. विशेष कोचिंग सुविधा भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। परन्तु शोध क्षेत्र इसके लाभ से वंचित है। अतः बैगा–जनजाति के प्रतिभावान छात्रों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मिल सकें।

इस संबंध में पिछले 2009 में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर विकासखण्ड, डिण्डौरी जिला मध्य–प्रदेश में अध्ययनरत् बैगा–जनजाति का विज्ञान संकाय का एकमात्र छात्र ऐसा था जो बिना कोचिंग व्यवस्था व विशेष सुविधा के आभाव के होते हुए भी PMT (Pre. Medical Test) की परीक्षा उत्तीर्ण की किन्तु आर्थिक कठिनाईयों के कारण इसमें प्रवेश लेने से वंचित रह गया जो इसके भविष्य पर प्रश्न चिह्न है। अतः इनके उज्जवल भविष्य

को ध्यान में रखते हुये इन्हें विशेष कोंचिग की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए।

इसके साथ ही प्रवेश के समय P.M.T. के डोनेशन की शुल्क वहन करने के संबंध में शासन द्वारा विशेष योजना बनायी जानी चाहिए।

10. बैगा–जनजाति की अपनी परंपरागत–चिकित्सा–पद्यति है। बैगा–जनजाति के व्यक्ति जो जड़ी–बूटियों के संबंध में ज्ञान रखते है, को विद्यालय में वैद्य शिक्षक के रुप में पदस्थ किया जाना चाहिए।

11. बैगा–जनजाति की अपनी शिकार पद्यति बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि इनका मुख्य शस्त्र तीरकमान की शिक्षा, विशेष तीरकमान प्रशिक्षक द्वारा दी जाये एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाये।

3. शिक्षा के प्रति बैगा–जनजाति की मानसिकता :

इस प्रतिस्पर्धात्मक–तंकनीकी युग में आज भी बैगा–जनजाति में रुढ़िवादिता, संकीर्ण विचारधारा व्याप्त है। उनका मानना है कि "अगर हमारे बच्चे पढ़–लिख जायेगे तो वे शहर चले जायेगे ऐसी स्थिति में पानी कौन भरकर लायेगा? चारा कौन काटेगा, मवेशियों को कौन चरायेगा, वृद्ध माता–पिता की सेवा कौन करेगा? उपज बीनकर कौन लायेगा? हाट में वनोत्पादों को बेचने कौन जायेगा? खेती में मद्द कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा?" आदि। वे शहरी–सभ्यता को अपनाना अर्थात् अपनी आदिम–संस्कृति पर कुठाराघाट समझते हैं।

प्रायः अधिकाश–बैगा जनजाति के छात्रों की शैक्षिक विचाराधारा यह है कि इन्हें छात्रवृत्ति की राशि से मतलब हैं इस राशि से वह अनाज, कपड़ा बीज, व मूलभूत, आवश्यकताओं की वस्तुएँ खरीदते है, कुछ छात्र छात्रवृत्ति की राशि माता–पिता को दे देते है, कुछ स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय कर देते है।

यही कारण है कि आज भी शैक्षिक तकनीकी के इस युग ने शिक्षा–अधिकार के होते हुए भी बैगा–जनजाति सर्वाधिक निर्धन व निरक्षर

आदिम–जनजाति है इसके अतिरिक्त इनकी निरक्षरता का महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि शासन द्वारा इनके विकास हेतु कई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास की योजनाएँ चलायी जा रही है, परंतु शिक्षा के प्रति उदासीनता, जागरूकता, की कमी व अपनी आदिम संस्कृति के मोहपाश में बंधे रहने के कारण ये स्वयं ही शिक्षित नहीं होना चाहिए।

वही दूसरी और वे शिक्षक एवं समाजसेवी जो बैगा–जनजाति के शैक्षिक विकास को बढ़ावा चाहते है, इन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने में सहयोग दे रहे है जिसके परिणाम स्वरूप वे स्वयं (माता–पिता) शिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते है। इस कारण कुछ माता–पिता अपने बच्चों को आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ा रहे है जो इनकी शैक्षिक प्रगति का सूचक है।

किन्तु शैक्षिक–तकनीकी के इस युग में बैगा–जनजाति की शैक्षिक प्रगति ऊँट के मुँह में जीरा भावार्थ को व्यक्त करती हुई प्रतीत हो रही है जो अतिश्योक्ति नहीं है।

4. शिक्षा एवं विकास के संबंध में बैगा जनजाति का दृष्टिकोण :

शिक्षा एवं विकास के संबंध में बैगा–जनजाति का निम्न दृष्टिकोण है:

1. अगर वे शिक्षित हो जाते है तो उनका विकास भी समाज के अन्य वर्गो के समान होता है।
2. वे कृषि की नवीन–प्रवृत्तियों को सीख सकते है।
3. कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है।
4. उनका कोई शोषण न करता।
5. उनको उनकी मजदूरी का उचित परिश्रमिक प्राप्त होता,
6. उपज व औषाधियों का उचित मूल्य प्राप्त होता,
7. वे रोजगार के नवीन साधनों से परिचित होते,
8. शासकीय नौकरियों में पदस्थ होते।

शाला जाने वाले बालक–बालिका यह मानते हैं कि यदि उन्हें विशेष शिक्षण सुविधा प्रदान की जाये, अर्थात् कोचिंग व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी, कम्प्यूटर शिक्षण, पुस्तकालय व्यवस्था आदि तो वे भी समाज के अन्य वर्गो के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रतिस्पर्धा के इस युग के कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं जो धीरे–धीरे यथार्थ में परिवर्तित होता दृष्टव्य हो रहा है। जबकि शाला त्यागी बालक–बालिका यह मानते हैं, कि यदि उन्हें पुनः शिक्षा प्रदान की जाये तो वे अवश्य पढ़ेगे क्योंकि वे अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे है तथा तकनीकी व व्यवसायिक–शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूकता का अंकुर प्रस्फुटन हैं।

5. शिक्षा एवं भविष्य के संबंध में बैगा–जनजाति का दृष्टिकोण :

शिक्षा, विकास का ऐसा सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों का बोध कराता है। सुदूर दुर्गम पहाडी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम–जनजाति बैगा भी शिक्षा के लाभ से परिचित होने लगी है। अतः शहरी सीमा से लगी बैगा–जनजाति का साक्षरता प्रतिशत, सुदूर, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति (बैगा) से अधिक है।

शासन की निःशुल्क शिक्षा योजनाओं व गैर सरकारी संगठन के अथक प्रयास से अशिक्षित माता–पिता भी अपने बच्चों को शाला भेजने हेतु जागरूक होने लगे हैं। उनका मानना है कि "अगर उनके बच्चे पढ़लिख जायेगे तो वे शासकीय नौकरी, रोजगार का उचित साधन प्राप्त कर सकते है।"

जबकि शाला जाने वाले बच्चे स्वयं सुरक्षित भविष्य के लिए सतर्क हो गये है। वे अब कम्प्यूटर शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं कोचिंग के महत्व को समझने लगे हैं।

वही दूसरी और शालात्यागी बच्चों का मानना है कि यदि वे आगे पढ़लिख जाते तो कतई कृषि, कृषि–मजदूरी, मजदूरी नहीं करते बल्कि स्वयं की दुकान खोलते व शासकीय नौकरी में पदस्थ होते अर्थात् वे आत्मनिर्भर होते जो उनके जीवन का स्वर्णिम दिवास्वपन प्रतीत होता है।